न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 26/2010

अनवान

श्री मगना पिता छोगा तेली निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... **वादी**

बनाम

1 राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0
3 जमनालाल पिता छोगा लाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा फौत
3/1– दिनेश पिता जमनालाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/2– सायरी पुत्री जमनालाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/3– विमला पुत्री जमनालाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/4– देउ पुत्री जमनालाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/5– केलाशी पत्नि जमनालाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

..... **प्रतिवादी**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– मगना तेली.....वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.05.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके डोडवानियों का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1693 रकबा 5–00 बीघा भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 से जरिये रजिस्टर्ड विकय विकय पत्र दिनाक 25.01.2001 को कय कर कब्जा प्राप्त किया। खरीद दिनांक से वादी का वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 03 को दिनांक 07.01.1983 को वादग्रस्त आराजीयात का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आंवटन किया तथा पालना में पटवारी हल्का द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 को मौके पर कब्जा सिपुर्द कर तहसीलदार बनेडा के द्वारा नामान्तकरण फैसल कर प्रतिवादी संख्या 03 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। साबिक आराजी संख्या 577 जो कि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है में से आंवटन पश्चात वर्तमान आराजी संख्या 1693/577 नवीन नम्बरान कायम हुए। वादी की खातेदारी हक से दर्ज आराजी संख्या 1656/577 रकबा 5–00 बीघा नक्शा ट्रेस पर में दर्ज है।

किन्तु वादी अलग जगह काबिज है। सन् 1983 से ही प्रतिवादी संख्या 03 को साबिक आराजी संख्या 577 से जहां कब्जा सिपुर्द किया वहा विपक्षी संख्या 03 काबिज था तथा खरीद पश्चात वादी काबिज है। वादी की खातेदारी आराजी संख्या 1693/577 रकबा 5-00 का मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में पेमुद किया जाना न्यायोचित होकर वादी इस आशय अनुसार अधिकारी है।

वादी की खातेदारी आराजी संख्या 1693/577 रकबा 5-00 का मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में पेमुद किया जाकर ईन्द्राज दुरूस्ती कर उसी अनुसार घोषणात्मक डिक्री सादर फरमायी जावे।

2. प्रकरण को दिनांक 01.02.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो की तल्बी की गई। विपक्षी संख्या 02 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा की और से वादपत्र में ईकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 03 फौत हो जाने से उनके कायम मुकाम रिकार्ड पर लिए जाकर उनकी तल्बी हेतु सम्मन जारी किये गये, किन्तु सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। दिनांक 21.02.2017 को वादी व वादगस्त आराजीयात पडौसी श्री छगनलाल जाट के प्रस्तुत शुदा शपथपत्रो पर बयान कलमबद्ध किये गये। इसी दौरान वादपत्र को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम रूपाहेलीखुर्द के लिए पंजीबद्ध किया गया तथा पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 02 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा वक्त केम्प उपस्थित। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी एंव प्रतिवादी संख्या 02 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा द्वारा उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत राजीनामा प्रपत्र पर अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव कलमबद्ध बयानो एंव वादपत्र का अध्ययन एंव मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी और से लिखित बहस तथा समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादी की खातेदारी आराजी संख्या 1693/577 रकबा 5-00 का मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में पेमुद किया जाना न्यायोचित है। तथा विपक्षी संख्या 02 के ईकबालिया जवाब तथा समर्थन में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से इसकी पूष्टी होती है। अतः वादी का वाद पत्र सहमती से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

-::आदेश::-

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम डोडवानियों का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1693/577 रकबा 05-00 बीघा राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में मौके पर कब्जे अनुसार दुरूस्ती की जाकर नक्शा ट्रेस मे उक्त आराजी संख्या 1693/577 दर्ज कर दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम रूपाहेलीखुर्द में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 26/2010

अनवान

श्री मगना पिता छोगा तेली निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
.... वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0
3 जमनालाल पिता छोगा लाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा फौत
3/1– दिनेश पिता जमनालाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/2– सायरी पुत्री जमनालाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/3– विमला पुत्री जमनालाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/4– देउ पुत्री जमनालाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/5– केलाशी पत्नि जमनालाल नाई निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :::– **मगना तेली......वादी**

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88–89–90–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम डोडवानियों का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1693/577 रकबा 05–00 बीघा राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में मौके पर कब्जे अनुसार दुरूस्ती की जाकर नक्शा ट्रेस मे उक्त आराजी संख्या 1693/577 दर्ज कर दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1 लगायत 05 को इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक एवं स्वामित्व के भू भाग पर किसी भी प्रकार की नाजायज दखलनदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आज दिनांक 16.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम रूपाहेलीखुर्द में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा (राज.